दिनांक: 14-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया नेहा हत्याकांड का खुलासा, एक नामजद हत्यारोपी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2023 को रोशनलाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि गुरुदयाल उर्फ गुरू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने दिनांक 01.02.2023 को गायब उसकी पत्नी नेहा की हत्या कर शव को रवि पुत्र सुन्दरपाल निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना नानौता जिला सहानरपुर के खेत में छिपा दिया था मृतका नेहा कि गुमशुदगी दिनांक 02.02.2023 को उसके पति रोशन द्वारा थाना नानौता पर दर्ज करायी गयी थी तथा मृतका नेहा का क्षत विक्षत शव कंकाल दिनांक 12.03.2023 को रवि पुत्र सुन्दरपाल उपरोक्त के सरसौं के खेत से मिला था। मृतका के पति रोशनलाल उपरोक्त की सूचना पर थाने पर मु0अ0स0 47/2023 धारा 302/201 भादवि पजींकृत होकर विवेचना थानध्यक्ष नानौता चन्द्रसैन सैनी द्वारा प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे मु0अ0सं0 47/2023 उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त गुरुदयाल उर्फ गुरू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मृतका नेहा की एक जोड़ी पाजेब, मृतका का मोबाईल फोन मय सिम तथा मृतका की एक जोड़ी जूतियाँ व एक मौजा बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 404 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका मृतका नेहा के साथ प्रेम प्रसंग था मृतका नेहा मुझ पर भगाकर शादी करने का दबाव बना रही थी तथा ऐसा न करने पर बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती थी। मृतका चार बच्चों की माँ थी तथा मैं कुँवारा हुँ जिस कारण मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने दिनांक 31.01.2023 की मध्यरात्रि में उसी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी तथा शव को ले जाकर जंगल में सरसौं के खेत में छिपा दिया था।

अभियुक्त का नाम व पता:-

गुरुदयाल उर्फ गुरू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. मृतका नेहा की एक जोड़ी पाजेब,
2. मृतका का मोबाईल फोन मय सिम,
3. मृतका की एक जोड़ी जूतियाँ व एक मौजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री शीतल कुमार शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 314 प्रवेश शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 595 गौरव त्यागी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक: 14-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया हत्या के आरोपी बेटे को फरार होने मे सहायता करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार।

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे तथा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 14.03.23 को मु0अ0स0-73/2023 धारा धारा 302 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी के फरार अभियुक्त राजा पुत्र राकेश निवासी भगवानपुर थाना बडगाव जिला सहारनपुर को फरार करने एवं गिरफ्तारी से बचाने में उसकी सहायता करने वाले उसके पिता राकेश पुत्र चमन सिंह निवासी भगवानपुर थाना बडगाव जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। हत्या जैसे जघन्य अपराध में वांछित अभियुक्त राजा उपरोक्त को फरार कराने एवं सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0स0 84/23 धारा 216 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त राकेश उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.राकेश पुत्र चमन सिंह नि0 भगवानपुर थाना बडगाव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2.व0उ0नि0 जावेद खान थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3.है0का0 301 रुधन खोखर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4.का0 2173 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

दिनांकः 14-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात,सहारनपुर पुलिस द्वारा 50 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाले 02 आरोपियो को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.02.2023 को वादी श्री कर्नल बलबीर सिंह (सेवानिवृत्त) पुत्र स्व० हरीश चन्द्र सिंह निवासी 33/14, गणपति कुंज 23 सर्कुलर रोड देहरादून, उत्तराखन्ड , के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर द्वारा एक राय होकर एक पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत फर्जी लिखा पढ़ी करके नौटेरी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी कर वादी से 50 लाख रूपये ठग लेना व रूपये वापस माँगने पर वापस ना देना व फोन पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/406/467/468/471/120बी/507 भादवि बनाम (1) महेश कुमार त्यागी पुत्र स्व० सोमदत्त त्यागी निवासी ग्राम भरतपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर ,मो0न0 9760677171, हाल निवासी इन्द्रानगर निकट शहीद द्वार देहरादून, (2) अमजद अली पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कामेशपुर, छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर,(3) अदनान पुत्र नामालूम नि0 अज्ञात, (4) गुरूदेव सिंह पुत्र किशन सिंह नि0 अज्ञात ,(5) गोयल सी.ए. पुत्र नामालूम नि0 अज्ञात, (6) अभय पुत्र नामालूम नि0 अज्ञात (7) बाबा नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुऐ घटना के तत्काल अनवारण हेतु निर्देश दिये गये। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के नेत्तृत्व में आदेश के अनुपालन में अभि0 1. रणवीर सिंह उर्फ अभय पुत्र भूप सिंह नि0 हेमा माजरा थाना मौलाना जनपद अम्बाला , हरियाणा व 2.संजीव उर्फ बन्टू उर्फ गोयल पुत्र मुकेश नि0 अमरविहार कालोनी थाना जगादरी सिटी जनपद यमुनानगर, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभि0 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार दाखिल किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. रणवीर सिंह उर्फ अभय पुत्र भूप सिंह नि0 हेमा माजरा थाना मौलाना जनपद अम्बाला , हरियाणा
2.संजीव उर्फ बन्टू उर्फ गोयल पुत्र मुकेश नि0 अमर विहार कालोनी थाना जगादरी सिटी जनपद यमुनानगर, हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना को0देहात, स0पुर
2. उ0नि0 दीपचन्द थाना को0 देहात,स0पुर
3. हे0का0 845 तेजेन्द्र सिंह थाना को0 देहात ,स0पुर
4. का0 199 रोहित कुमार थाना को0देहात स0पुर
5. का0 1115 बृज मोहन थाना को0 देहात, स0पुर

दिनांक: **14-03-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वान्छित को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लैपटाप व पैनड्राईव भी बरामद की गयी तथा साथ ही 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता को भी गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीमो द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0स0 04/23 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि में वान्छित चल रहे अभियुक्त अदनान पुत्र खालिद निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहरपुर सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 लैपटाप व 01 पैनड्राईव व अभियुक्त का आधार कार्ड बरामद किया गया तथा साथ ही 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता लुबना पत्नी शाहिन पुत्री इरफान निवासी गणपत सराय पुरानी मण्डी थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 8515/2019 धारा 406 आईपीसी चालानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ता0 पेशी 27.03.2023 को भी गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता –

1. अदनान पुत्र खालिद निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहरपुर सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 04/23 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि
2. लुबना पत्नी शाहिन पुत्री इरफान निवासी गणपत सराय पुरानी मण्डी थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 8515/2019 धारा 406 आईपीसी चालानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

1.फर्जी तस्तावेद बनाने मे प्रयुक्त होने वाला लैपटाप

2. फर्जी तस्तावेद बनाने मे प्रयुक्त होने वाला पैनड्राईव

3. 01 फर्जी आधार कार्ड

गिरफ्पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 955 भीम सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. कां0 1460 अंकित पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. कां0 1830 शुभम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. का0 2199 विष्णु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
8. म0का0 983 मीनू गिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
9. म0का0 1748 कंचन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: **14-03-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट की घटना में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे वाँछित अपराधियो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.03.2023 को थाना प्रभारी कुतबुशेर के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 426/22 धारा 308/323/504/506 भादवि मे वाँछित चल रहे अभियुक्त प्रिन्स उर्फ गोस्सी पुत्र श्यामलाल निवासी रंजीतनगर बैरीबाग चक्की वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रिन्स उर्फ गोस्सी उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. प्रिन्स उर्फ गोस्सी पुत्र श्यामलाल निवासी रंजीतनगर बैरीबाग चक्की वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. उ0नि0 मौ0 जहाँगीर थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. का0 45 सुमित थाना कुतुबशेर सहारनपुर

दिनांक: 14-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ट्यूबबैल से कटआउट स्टार्टर एवं केबिल चोरी करने वाले एवं मन्दिर से कलश चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का तांबे का तार व कॉइल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे एवं थानाध्यक्ष फतेहपुर जनपद सहारनपुर के नेतृत्व मे **दिनांक 2/3.03.2023 की रात्रि को ग्राम बढेडी घोघू के जंगल में 12 ट्यूबबैल से कटआउट स्टार्टर एवं केबिल चोरी करने वाले एवं मन्दिर से कलश चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग 42/2023 धारा 427, 379, 411 भादवि में प्रकाश में आये 04 वांछित अभियुक्तगणो में 03 अभियुक्तगण 1.अरूण उर्फ काला पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बेहड़ा सन्दल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर 2.सबनूर पुत्र मौ0 आलिम निवासी ग्राम बडेढ़ी घोघू सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर, 3. रियासत उर्फ मच्छर पुत्र नाथी निवासी ग्राम बेहड़ा सन्दल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मय तांबा तार व काइल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उत्तम पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बेहड़ा सन्दल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर मौका पाकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।** अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अरूण उर्फ काला पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बेहड़ा सन्दल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
2.सबनूर पुत्र मौ0 आलिम निवासी ग्राम बडेढ़ी घोघू सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
3. रियासत उर्फ मच्छर पुत्र नाथी निवासी ग्राम बेहड़ा सन्दल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

तांबे का तार व काइल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 610 विपिन राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना फतेहपुर सहारनपुर